



हमारा प्रचार, आपका आवास

ई-नीलामी के लिए
QR कोड स्कैन करें
रजिस्ट्रेशन/नियम व शर्तों की
जानकारी हेतु वेबसाइट पर विजिट करें
www.upavp.in



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद के सेक्टर-7 में अर्धनिर्मित 1856 नग बहुमंजिला भवनों की परियोजना की मेगा ई नीलामी

ई-नीलामी की तिथि : 11-12-2025

पंजीकरण व टोकन धनराशि जमा
करने की अवधि

दिनांक : 10-11-2025 से 10-12-2025 तक



उपरोक्त फोटोग्राफ्स परियोजना की वास्तविक फोटोग्राफ्स हैं तथा नीलामी “जहाँ है जैसा है” के आधार पर की जायेगी

परियोजना की मुख्य विशेषताएं

- परियोजना स्थल सेक्टर -7 मण्डोला विहार योजना, जनपद गाजियाबाद में परिषद द्वारा अधिग्रहित कब्जा प्राप्त एवं विवाद रहित भूमि पर स्थित
- मण्डोला विहार योजना दिल्ली-सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (709 बी) पर स्थित है तथा दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर एंट्री एवं एग्जिट परियोजना स्थल के सन्निकट है
- परियोजना के अंतर्गत कुल 1856 नग प्लैट्स नियोजित/आंशिक निर्मित हैं तथा तीन नग टावर का सिविल कार्य लगभग पूर्ण है
- परियोजना के अंतर्गत लगभग 10 एकड़ भूमि पर छः माह में आवंटी परियोजना को पूर्ण कर प्लैट्स का विक्रय कर सकता है
- लोनी रेलवे स्टेशन मात्र 8 कि.मी.; शिव विहार मेट्रो स्टेशन 9 कि.मी.; अंतर्राज्यीय बस स्टेशन (कश्मीरी गेट) 15 कि.मी.; हिंडन एयरपोर्ट 20 कि.मी. एवं RRTS मोहन नगर पॉइंट मात्र 20 कि.मी. पर स्थित



ट्रोनिका सिटी के निकट



NHAI द्वारा निर्मित एलिवेटेड रोड
अक्षरधाम (दिल्ली) से देहरादून 6 लेन



ईस्टन पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे
से मात्र 8 कि.मी.

परियोजना का विवरण

Property No. & Type	Area of Property	F.A.R.	Category	Reserve Price	Property Cost	Token money
7A/GH/01 (Group Housing Plot)	39,897.90 Sqm.	2.5	Unreserved/ General/None	₹9,06,88,94,000.00	₹9,06,88,94,000.00	₹90,68,89,400.00

दिनांक 11-12-2025 को ई-नीलामी में एकल बोली प्राप्त होने की स्थिति में पुनः ई-नीलामी सम्पन्न कराए जाने हेतु कार्ययोजना निम्न प्रकार है :-

नवीन आवेदकों हेतु पंजीकरण व टोकन धनराशि जमा करने की अवधि
दि. 11-12-2025 से 30-12-2025 तक

ई-नीलामी की तिथि
दि. 31-12-2025

साइट विजिट एवं अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें - संपत्ति प्रबंधक (8189081113) एवं अधिशासी अभियंता (6390900015)

भुगतान के मुख्य बिंदु - ● टोकन राशि: संपत्ति मूल्य का 10% ● 40% भुगतान: आवंटन के बाद 01 वर्ष में 4 त्रैमासिक किश्तों में (ब्याज रहित) ● शेष 50% भुगतान: 5 वर्षों की 10 छमाही किश्तों में 11% ब्याज के साथ ● किश्तों में विलंब होने पर 2% अतिरिक्त ब्याज ● आवंटन के 60 कार्य दिवसों के भीतर पूरा भुगतान करने पर 5% की छूट ● अन्य शुल्क: सभी कर (GST, आयकर, जलकर आदि) क्रेता को देने होंगे ● इस विज्ञापन में उल्लिखित नियमों/शर्तों के अतिरिक्त किसी भी विसंगति की स्थिति में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की अनावासीय एवं आवासीय संपत्तियों के निस्तारण संबंधी विनियम यथासंशोधित- 2016 के नियम प्रभावी होंगे। इस संबंध में आवास आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

संपत्तियों एवं पंजीकरण से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए डायल करें : (टोल फ्री नंबर) 1800-180-5333, 0522-2236803 (किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 9:30 से सायं 6:00 बजे)

UPHousingBoard uphousingdevboard www.upavp.in

